



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(1)पंरावि/प्रशा.1/क.अ.स.अ./संस्थानान्तरण-पदस्थापन/24-22538

जयपुर, दिनांक:

—:आदेश:—

निम्नलिखित कनिष्ठ अभियन्ताओं के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं—

क्र. सं.	नाम अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री	पदनाम	कहां से	कहां को
1	अनूप सैनी	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति उमरैण जिला अलवर	पंचायत समिति मालाखेडा जिला अलवर
2	जयकिशन विश्‍नोई	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति मारवाड जंक्शन जिला पाली	पंचायत समिति लाड़नू जिला नागौर
3	जितेन्द्र कुमार अग्रवाल	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति मलारनाडूंगर जिला सवाईमाधोपुर	पंचायत समिति गंगापुरसिटी जिला करौली
4	रामहंस मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर	पंचायत समिति सपोटरा, जिला करौली
5	शिवदयाल मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति नेछवा जिला सीकर	पंचायत समिति बैजूपाडा जिला दौसा
6	कैलाश कुमार जीनगर	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति कल्याणपुर जिला बाडमेर	पंचायत समिति शेरगढ जिला जोधपुर
7	जगदीश चौधरी	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति खाजूवाला जिला बीकानेर	आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय पंचायती राज विभाग
8	राजू वेदवाल	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति सिकराय जिला दौसा	पंचायत समिति धौरीमना, जिला बाडमेर

Signature valid

RajKaj Ref
5721980



Digitally signed by Ghanshyam
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.02.20 19:46:57 IST
Reason: Approved

9	समय सिंह मीणा	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति सरमथुरा जिला धौलपुर	पंचायत समिति लक्ष्मणगढ जिला अलवर
10	प्रकाश सैन	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति दातारामगढ जिला सीकर	पंचायत समिति सराडा जिला उदयपुर
11	राजेन्द्र कुमार सेंवर	कनिष्ठ अभियन्ता	पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजमसन्द	पंचायत समिति पीपाडशहर जिला जोधपुर

उपरोक्त अभियन्तागण बिना किसी पत्र व्यवहार के इनके नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण करें तथा कार्यग्रहण रिपोर्ट उचित माध्यम से विभाग को अविलम्ब प्रेषित करावें। उक्त आदेशों की पालना तत्काल सुनिश्चित की जावे। यदि किसी अभियन्ता द्वारा कार्यग्रहण करने में विलम्ब किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय परिपत्र क्रमांक 1346 दिनांक 14.9.2020 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। उपरोक्त अभियन्ताओं को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(घनश्याम शर्मा)

उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. एसीपी मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
10. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति संबंधित।
12. संबंधित अभियन्ता को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

RajKaj Ref
5721980

Digitally signed by Ghanshyam
Sharma
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2024.02.20 19:46:57 IST
Reason: Approved